THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) In the east-coast of India traces of oil have been found at one place on Karaikal structure in on shore Cauvery basin and gas on two separate onshore structures, one in Madnam structure in Cauvery basin and the other in Narsapur structure in Godavari basin. In the east coast offshore, oil has been discovered in a structure G-1 in offshore Godavari Basin.

(b) The lead given by the oil show in Karaikal structure was followed up by ONGC by carrying out further drilling and testing on the structure both onshore and on its offshore extension. The oil show on Karaikal structure has been found non-commercial. Similarly, the gas show in Madnam structure has also been found non-commercial.

There was a gas blowout in the first exploratory well drilled on Narsapur structure in Godawari Basin. The well has been re-entered after controlling the blow out and is presently under fishing operations. Another location on the structure has been released. It is proposed to deploy another drilling rig to assess the commerciality or otherwise of this gas show in Narsapur structure.

The oil show in offshore Godavari basin in structure G-1, has recently been tested by ONGC and these tests have established the structure as oil bearing. A few more wells have to be drilled for assessing the commerciality or otherwise of this oil discovery in offshore Godavari basin. To this end, the first assessment well on this structure is proposed to be taken up for drilling in early July, 1980.

(c) In Bombay High on a similar occasion in the past also a few assessment wells have been drilled as per requirement for assessing the potential of the field concerning oil and gas deposits.

टहरी बांध के विस्थापितों का पुनर्वास

2477. **श्री दया राम शाक्य** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टहरी बांध के निर्माण के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कोई भूमि निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां तो कहां और उन्हें (परिवार-वार) आवंटित की गई खेती योग्य भूमि का क्षेत्र कितना है और इस के लिए निर्धारित किए गए मानदंड क्या हैं ;

(ग) इस बांध के निर्माण के परिणामस्वरूप कितने गांवों के निवासी विस्थापित होंगे ;

(घ) इन परिवारों की अचल सम्पत्ति के लिये मुआवजा देने हेतु अपनाये गये मानदंड क्या हैं

(ङ) क्या सरकार का विचार इन परिवारों की चल सम्पत्ति को उन स्थानों पर जहां उन्हें बसाया जा रहा है परिवहन के लिए कोई प्रबन्ध किए गए हैं ;

(च) क्या सरकार विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकानों का निर्माण करेगी और क्या इन परिवारों को पहली फसल के लिये बीज सप्लाई करने के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(छ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडेय) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि टिहरी बांध क्षेत्र के विस्थापित ग्रामीण परिवारों के पुनःस्थापन के लिए उन्होंने देहरादून जिले में 2000 एकड़ वन भूमि तथा सहारनपुर जिले में 7000 एकड़ वन भूमि निर्धारित की है । टिहरी नगर में रहने वाले लोगों के लिए वर्तमान टिहरी नगर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर वन भूमि और निजी भूमि पर एक नए नगर का विकास किया जा रहा है ।

टिहरी बांध से प्रभावित क्षेत्र में जिन लोगों की कृषि भूमि है उन्हें अपनी भूमि के बदले नकदी के रूप में या कृषि-योग्य भूमि के रूप में मुआवजा लेने की छूट है । सरकार के वर्तमान आदेशों के अनुसार यदि किसी परिवार के पास बांध प्रभावित क्षेत्र में 2 एकड़ से कम भूमि है और वह परिवार नकद मुआवजे के बजाए कृषि-योग्य भूमि लेना चाहे तो उसे कम से कम 2 एकड़ कृषि-योग्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए । बांध प्रभावित क्षेत्र में रह रहे भूमिहीन कृषि मजदूरों को उनके द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार नकद 16000/- रुपया या 2 एकड़ कृषि-योग्य भूमि दी जानी है ।

(ग) 102 गांव, जिनमें से 22 गांव पूरी तरह जलमग्न होंगे, 70 आंशिक रूप से जलमग्न होंगे तथा 10 गांव परियोजना के कर्मचारियों के लिए कालोनी बनाने कार्यशाला आदि के लिए ।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि मुआवजा निजी भूमि या घरों के अधिग्रहण की वर्तमान बाजार दर पर दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, उन व्यक्तियों के लिए जो मुआवजा नकद लेना चाहते हैं उनकी निजी कृषि भूमि के अधिग्रहण के लिए निम्नलिखित दरों पर अनुग्रहपूर्वक अनुदान के भुगतान के भी आदेश दिए गए हैं :

1. सिंचित भूमि ----12,000 रुपये प्रति एकड़

2. श्रेणी-एक भूमि----6,000 रुपए प्रति एकड़

3 श्रेणी-दो भूमि——4,000 रुपए प्रति एकड़

निजी मकानों के मामलों में 20 000 रुपए तक की राशि पर कोई मूल्यह्रास नहीं कम किया जाता। इसके अतिरिक्त 8000 रूपए से कम कीमत वाले मकान के बदले वर्तमान सरकारी आदेशों के अंतर्गत कम से कम 8000 रुपए दिए जाते हैं ।

(ङ) जी नहीं, तथापि सामान पशु आदि ले जाने के लिए प्रत्येक परिवार को 1000 रूपए पुनःस्थापन अनुदान के रूप मे दिया जा रहा है । टिहरी नगर में रहने वाले लोगों के लिए यह भत्ता निम्न प्रकार है :—

	घरेलू सामान ले जाने के लिए	
	नए टिहरी नगर को जाने वाले व्यक्तियों के लिए	अन्यत्र बसने वाले व्यक्तियों के लिए
4 सदस्यों के परिवार के लिए	रु० 200 - प्रति सदस्य	रु० 100/- प्रति सदस्य
4 सदस्यों से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिए	रु० 100 प्रति अतिरिक्त सदस्य	50 रु० प्रति

(च) और (छ) . उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वे पुनःस्थापन स्थलों पर मकानों का निर्माण नहीं करेंगे । जहां तक बीज का संबंध है वे पहली फसल के लिए बीजों का प्रबन्ध करते हैं परन्तु उसकी कीमत प्रत्यक पुनःस्थापित परिवार को देय 1000 रुपए के कृषि में से वसूल की जाती है ।

यमुना पार के क्षेत्रों से बाढ़ का पानी निकालना

2478. **श्री चन्द्र पाल शैलानी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के यमुना पार के क्षेत्रों से बाढ़ का पानी निकालने के लिए किसी योजना पर कार्य इस समय किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का पूरा ब्यौरा क्या है और इस योजना के अन्तर्गत ड्रेन संख्या 1 पर कितने पुलों का निर्माण किया गया था और उपरोक्त ड्रेन पर कितने बाकी के पुलों का निर्माण किया जायेगा और इसमें कितना समय लगने की संभावना है ;

(ग) उपरोक्त ड्रेन का निर्माण कार्य कितना पूरा हो चुका है और यह पूरी तरह से कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(घ) क्या इसके रास्ते में आने वाली कुछ इमारतों को गिरा दिया जायेगा और यदि हां, तो ऐसी इमारतों की संख्या कितनी है और क्या हटा दिये जाने वाले व्यक्तियों को वैकल्पिक स्थान दिये जायेगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शाहदरा क्षेत्र से बाढ़ और वर्षा के जल की निकासी के लिए "शाहदरा क्षेत्र को बाढ़ जल निकास स्कीम "नामक एक स्कीम का इस समय क्रियान्वयन किया जा रहा है । इस स्कीम में 8.15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पांच ड्रेनों का निर्माण परिकल्पित है । ये ड्रेन हैं (1) शाहदरा मुहाना ड्रेन (2) शाहदरा लिंक ड्रेन (3) गाजीपुर ड्रेन (4) ट्रंक ड्रेन नं० 1 (5) ट्रंक ड्रेन नं० 11 सं० ट्रेन 11 पर निर्माण पुनर्रुपण के लिए प्रस्तावित 14 सड़क पुलों में से 3 पूर्ण हो गए है 9 का क्रियान्वयन हो रहा है और 2 की अभी हाथ में लिया जाना है । पुनर्रुपण के लिए प्रस्तावित दो रेल पुलों में से एक पूर्ण हो गया है और दूसरे पर काम जारी है । ट्रंक ड्रेन नं० 1 को प्रस्तावित 13 किलोमीटर की लम्बाई में से 11 किलोमीटर लम्बी भाग अब तक पूर्ण हो गया है । इस ड्रेन को जून, 1981 तक पूरा करने का प्रस्ताव है ।

(घ) जहां आवश्यक समझा जाएगा, जल-निकास स्कीम के निर्माण के रास्ते में आने वाली इमारतों को गिरा दिया जाएगा । इस समय ऐसी इमारतों की ठीक संख्या ज्ञात नहीं है । वैकल्पिक स्थलों की व्यवस्था करने पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा ।